

क्रमांक एफ1(A) (140)स्था./राईस/सामान्य/2018/1326

जयपुर, दिनांक 13-7-2018

कार्यालय आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन राईस द्वारा संचालित निष्क्रमणीय पशुपालक राजकीय आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विभागीय पोर्टल पर रायका, रेबारी, देवासी, एवं अन्य जातियों के साथ "गडरिया (गाडरी), गायरी " जाति को सम्मिलित किया जाता है। प्रमाण पत्र के आधार पर आवासीय विद्यालयों में प्रवेश का लाभ देय होगा।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव
एवं सचिव राईस

क्रमांक एफ1(A) (140)स्था./राईस/सामान्य/2018/1327-57

जयपुर, दिनांक 13-7-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. जिला कलेक्टर.....
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी.....
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड, प्रवेश प्रक्रिया मे प्रदर्श कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।
11. प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव
एवं सचिव राईस